

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या- 1892/पांच-8-2020-  
लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2020

**कार्यालय-ज्ञाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में 1307 एवं पत्र संख्या-219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर 2019 में 565 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए सूची के कालम-8 में उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मूलरूप से तैनात करते हुए अग्रिम आदेशों तक सूची कालम-9 के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ के अधीन सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परीवीक्षा पर रखा जायेगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवार्यें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

क्रमशः

- 5- सम्बन्धित चिकित्सक पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)
  - (2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।
  - (3) उओप्रओ मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (4) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
  - (5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
- 8- संबंधित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या- 04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-11, दिनांक 07-02-2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।
- 9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

क्रमशः

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3- देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में शासन के कार्यालय जाप संख्या-1098 /पांच-8-2020-जी0(290)/2017 टी0सी0-11, दिनांक 02-04-2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**संलग्नक-तैनाती सूची-10 एवं शपथ पत्र का प्रारूप।**

**वी0 हेकाली झिमोमी**

सचिव।

**संख्या- (1)/पांच-8-2020-तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या- 219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर 2019 एवं पत्र संख्या- 219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर 2019 के क्रम में।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराते हुए शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।

क्रमशः

- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- उक्त चिकित्सकों के मूल तैनाती स्थल से संबंधित समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित चिकित्सक का वेतन चिकित्सक द्वारा सम्बद्धीकरण स्थल पर कार्यभार ग्रहण/योगदान की तिथि से आहरित करायेंगे।
- 11- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
- 12- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 13- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उन्हें संलग्न सूची के कालम-8 में उल्लिखित चिकित्सा इकाई/जनपद में मूलरूप से तैनात करते हुए अग्रिम आदेशों तक संलग्न सूची के कालम-9 के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ के अधीन सम्बद्ध किया जाता है। नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सम्बद्ध स्थल पर योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए मूल तैनाती संबंधी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को तत्काल सूचित करेंगे। संबंधित चिकित्सकों का वेतन सम्बद्धीकरण स्थल/जनपद पर योगदान की तिथि से मूल तैनाती जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा। सम्बद्धता की अवधि तक मूल तैनाती इकाई/जनपद के अनुसार ही स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश दिनांक 07-02-2020 में विहित व्यवस्थानुसार सभी लाभ अनुमन्य होंगे।
- 14- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से,  
  
(शिवगोपाल सिंह)  
उप सचिव।

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा०-----पुत्र श्री-----  
निवासी-----  
को विगत-----वर्षों/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे  
कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा०-----मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र  
एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-----

निवासी-----

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2019 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

-----

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----शपथ पत्र  
डा0----- पुत्र श्री/डा0-----निवासी-----  
-----जनपद-----में डा0----- शपथकर्ता उपरोक्त  
निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या-----  
दिनांक -----द्वारा 30प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत  
एलापैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य  
चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----के  
अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित  
अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के  
लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये  
जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत  
नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और 30प्र0 शासन  
को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक-----

### सत्यापन

मैं डा0-----शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि  
उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं  
गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक-----

कार्यालय जाप संख्या- 1892/पांच-8-2020 दिनांक 16-7-2020 की तैनाती सूची का संलग्नक

क्र सं	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	चिकित्सा अधिकारियों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में चयनित चिकित्सा इकाई/जनपद	अस्थायी सम्बद्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एस-304	53100442481	डा० नवनीत बंसल, पुत्र श्री रावेन्द्र कुमार बंसल, पता- मां कैला निवास हाउस न०-19,20 साइट न०-1, सिटी सेन्टर, जिला- ग्वालियर(मध्यप्रदेश)पिन- 474011	सामान्य	ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	एम०बी०बी० एस०	पी०एच०सी० सकरार जनपद झांसी	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
2.	एस-504	53100436471	डा० प्रीति त्रिपाठी पुत्री श्री विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी, पता- रूम नं०-26, पश्चिमी कौडिया, तह० शाहगंज, जिला- जौनपुर (30प्र०) पिन- 223101	सामान्य	जौनपुर	एम०बी०बी० एस०	देवरिया पी०एच०सी० जनपद प्रयागराज	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
3.	एस-558	53100302606	डा० मनस्वी व्यास, पुत्री शिवकुमार व्यास पता- मकान नं०- 153 जानकी नगर (ए०एन०ओ०) पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर के पास सुरज होटल जिला- गोण्डा पिन 271001	सामान्य	गोण्डा	एम०बी०बी०एस०	विशेश्वरगंज पी०एच०सी० जनपद बहराईच	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
4.	एस-559	53100044395	डा० दिवाकर गुप्ता पुत्र श्री रामऔतार गुप्ता, पता- ग्रा०/पो० देहागांव पिन- 243638 (30प्र०)	सामान्य	बदायूं	एम०बी०बी०एस०	बबाला पी०एच०सी० जनपद सम्मल	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
5.	एस- 860	53100257449	डा० राजेश कुमार, पुत्र श्री हरगोविन्द मिश्रा, पता- गाँव बजरिया कला, पो० मसाइचा, जिला- सिद्धार्थनगर (30प्र०) पिन-	सामान्य	सिद्धार्थ नगर	एम०बी०बी०एस०	सी०एच०सी० बेलहर कला जनपद संतकबीर नगर	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ

			272151					
6.	एस-949	53100355431	डा० दीपेश त्यागी पुत्र श्री जय प्रकाश त्यागी, पता- म०नं०-361 वी.पी.ओ भिगन नियर त्यागी शिव मन्दिर भिगन, जला- सोनीपत (हरियाणा) पिन- 131039	सामान्य	सोनीपत (हरियाणा)	एम०बी०बी० एस०	पी०एच०सी० सिलावर जनपद शामली	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
7.	एस-1023	53100353512	डा० राजीव रंजन पुत्र श्री निरंजन कुमार अस्थाना, पता- शिवपुरी, बी.ओ रिंग रोड, जिला- पटना (बिहार) पिन- 80023	सामान्य	पटना (बिहार)	एम०बी०बी० एस०	पी०एच०सी० शिवपुर दियर गंगापार जनपद बलिया	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
8.	एस-1420	53100303225	डा० झरना रस्तोगी पुत्री डा० बसन्त लाल रस्तोगी, पता- म०नं०- 336, छेदीपुरवा जिला अस्पताल के सामने पो० बडागांव, जिला- गोण्डा (उ०प्र०) पिन- 271001	ओ०बी०सी०	गोण्डा	एम०बी०बी० एस०	उतरोला पी०एच०सी० जनपद बलरामपुर	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
9.	एस-1649	53100336409	डा० जय प्रकाश कुमार साह, पुत्र स्व रामाकांतसाह, पता- गा० जगदीशपुर, पो० रहीमपुर, जिला- देवरिया (उ०प्र०) पिन-274703	अनुसूचित जन जाति	देवरिया	एम०बी०बी० एस०	थाडीभार पी०एच०सी० जनपद कुशीनगर	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
10.	एस- 2031	53100266818	डा० आशीष वर्मा, पुत्रश्रीकाशी प्रसाद वर्मा, पता- ग्राम- चंदौली, पो०- ररूलपुर, गुण्डा, जिला- रायबरेली, उ०प्र०, पिन- 229001	ओ०बी०सी०	रायबरेली	एम०बी०बी०एस	फूलबेहड पी०एच०सी० जनपद लखीमपुर खीरी	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ

(शिवगोपाल सिंह)  
उप सचिव।



## कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक संख्या-३फ/ए/२०१९/तैनाती-प्रस्ताव II/२०२०/२८५१-६१ लखनऊ: दिनांक -१७/०७/२०२०

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-१८९२/पाँच-८-२०२०-जी०(२९०)/२०१७टी०सी०-II दिनांक १६.०७.२०२० के क्रम में प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
- २- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-८
- ३- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- ४- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- ५- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
- ६- सम्बन्धित समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- ७- अपर निदेशक (गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- ८- समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी।
- ९- समस्त सम्बन्धित, मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक।
- १०- समस्त सम्बन्धित नवनियुक्त चिकित्साधिकारी।
- ११- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- १२- गार्ड फाईल।

अपर निदेशक (कार्मिक)